सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 221 राँची, शुक्रवार, 13 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 मई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-82/2015-5049 (HRMS)--श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-741/03, गृह जिला- देवघर), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा०, दिनांक-16.11.2015 एवं उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-855/स्था०, दिनांक-30.10.2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री दास के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. कठौतिया कोल माईन्स के अन्तगत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे० उषा मार्टिन, प्रा०लि० को कोयला उत्खनन के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरूद्ध था ।

2. अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN लिखापाया गया हैं । खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही

थी। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के आवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है ।

3. श्री एन०के० मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त पलामू प्रमण्डल के पत्रांक 10 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरूद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT Act की धारा 49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है ।

4. खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10429, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री दास के पत्रांक-18, दिनांक 15.01.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1183, दिनांक 09.02.2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-361/स्था०, दिनांक 18.06.2016 द्वारा श्री दास के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, पलामू द्वारा श्री दास को अप्रत्यक्ष रूप में दोषी प्रतिवेदित किया गया।

श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-132, दिनांक 07.01.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-58, दिनांक 08.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1 आंशिक रूप से सही एवं आरोप सं०-2 एवं 4 को सही प्रतीत होता है तथा आरोप सं०-3 को सही नहीं प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री दास के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय 5927, दिनांक 19.11.2020 द्वारा श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। इसके अनुपालन में श्री दास के पत्रांक-01, दिनांक 11.01.2021 द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) प्रस्तावित अभिलेख अंचल अधिकारी के स्तर से तैयार कर अनुमंडल कार्यालय को भेजा गया था। अभिलेख के साथ नक्शा तीन प्रति में, चेक स्लीप तीन प्रति में, खतियान की सत्यापित प्रति तीन प्रति में, खेसरा पंजी की प्रति तीन प्रति में संलग्न था। अभिलेख में अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन भी संलग्न था, जिसमें प्रस्तावित भूमि भू-दान/भू-हदबन्दी तथा वन सीमा से मुक्त रहने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। सम्पूर्ण दस्तावेज का अवलोकन कर ही अभिलेख अग्रसारित किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि जंगल-झाड़ी भूमि का प्रस्ताव आया था तथा उसे उच्चाधिकारी को अग्रसारित किया गया। अंचल अधिकारी खतियान के custodian है एवं राजस्व संबंधी दस्तावेज हल्का स्तर पर तथा अंचल स्तर पर ही संधारण एवं रख-रखाव किये जाते हैं। अभिलेख विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अग्रसारित किया गया, क्योंकि अंचल अधिकारी के बाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अनुशंसा के बाद इसे उपस्थापित किया गया था ।

सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा Transfer of Government Land के लिए SOP जारी किया गया है। SOP के अनुसार अंचल स्तर पर खतियान के अनुसार भूमि की जाँच करना/आम ईस्तहार निर्गत करना/ग्राम सभा की सहमति/नक्शा/चेक स्लीप की तैयारी कर अभिलेख का संधारण एवं प्रेषण हेतु अंचल अधिकारी को दायित्व दिया गया है। खतियान के अनुसार भूमि सत्यापन की जिम्मेवारी अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी को दी गई है तथा इस सम्पूर्ण कार्य के लिए 30 दिनों का समय-सीमा निर्धारित है।SOP के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को संधारित अभिलेख जिला स्तर पर अनुशंसा कर भेजना है, जिसके लिए 07 दिन की समय-सीमा निर्धारित है।SOP की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न कर तथा उपरोक्त सभी तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनका कहना है कि आरोप संख्या-01 इनसे संबंधित नहीं है। अतः आरोप से मुक्त किया जाय ।

(ii) श्री दास का कहना है कि खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करने की जिम्मेवारी उनकी है, जिनके अधीनस्थ खतियान रहता है। खतियान या तो संबंधित हल्का में अथवा अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहता है, जिस हल्का का खतियान कही भी उपलब्ध नहीं रहता है अथवा खतियान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहता है, वैसी स्थिति में रिकार्ड रूम की सहायता से खतियान का अवलोकन कर अंचल स्तर से अभिलेख का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। रिकार्ड रूम के प्रभारी पदाधिकारी ने TORN खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किया था। प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने में, खेसरा पंजी तैयार करने में तथा खतियान की प्रमाणित प्रति बनाकर अभिलेख में लगाने में, अनुमंडल पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं रही है ।

यहाँ यह भी कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि रिकार्ड आफ राईट्स तथा वन विभाग द्वारा मान्य "वन क्षेत्र" की अधिसूचना के बीच परस्पर विरोधाभाष रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी ज्ञापांक-5367/रा0, दिनांक 01.12.2015 के द्वारा सभी उपायुक्त को पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का यह मंतव्य है कि "जंगल-झाड़ी (1935 सर्वे के अनुसार) भूमि जो वर्ष 1980 (वन संरक्षण अधिनियम, 1980) के प्रभावी होने के पूर्व ही यथा 1964 सर्वे खतियान में जंगल-झाड़ी के बदले रैयतों एवं अन्य विभागों के नाम से खतियान में दर्ज है, के संबंध में सर्वे खतियान 1964 के आधार पर जो प्रविष्टियाँ हैं, उन्हें मान्यता देना यथोचित होगा।" खतियान लगभग सभी अंचलों में सैकड़ों वर्ष पुराने रहने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। यह बात सही है कि TORN खतियान के आधार पर इसका आकलन संभव नहीं है, परन्तु भूमि का स्वरूप पुराने खतियान के आधार पर अब परिवर्तित है, इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। भूमि का किस्म उपलब्ध खतियान एवं स्थलीय स्वरूप से मिलान कराने में अंचल कर्मियों के स्तर से चूक हुई है। इसी प्रकार TORN खतियान को अभिप्रमाणित तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-अभिलेखागार प्रभारी के स्तर से किया गया है। खतियान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने, भूमि का स्वरूप परिवर्तित होने और भूमि का किस्म उक्त के आधार पर मिलान करने में राजस्व कर्मियों की चूक के कारण ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तथा अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए दोषी नहीं कहा जा सकता है। अतः संबंधित साक्ष्यों, विभागीय परिपत्रों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनका कहना है कि कि आरोप संख्या-02 इनसे संबंधित नहीं है। अतः इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय ।

(iii) आरोप संख्या-03 CNT Act की धारा-49A से संबंधित है। CNT Act की धारा-49A के अन्तर्गत सम्पूर्ण शक्ति उपायुक्त में निहित है। इनका कहना है कि उपायुक्त, पलामू के मंतव्य तथा जाँच पदाधिकारी के जाँच एवं निष्कर्ष से यह आरोप इन पर लागू नहीं होता है ।

(iv) आरोप संख्या-04 खतियान की जाँच करने से संबंधित है। खतियान या तो हल्का में हल्का कर्मचारी के पास या अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहता है। जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जो खतियान रहता है तथा अपठनीय रहता है वैसी स्थिति में रिकार्ड रूम से अंचल कर्मी उसका मिलान करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इस संदर्भ में SOP जारी किया गया है। अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से इसे सत्यापन किया जाना है तथा अभिलेख संधारण कर चेक स्लीप/नक्शा/ खतियान की अभिप्रमाणित प्रति/खेसरा प्रपत्र तैयार कर भेजना है, जिसके लिए अंचल स्तर पर 30 दिन का समय-सीमा निर्धारित है। अभिलेख अंचल स्तर पर तैयार कर अंचल अधिकारी के द्वारा अनुशंसा कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निर्गत SOP के अनुसार अनुमंडल स्तर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता /अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर अभिलेख अनुशंसा कर भेजने की समय-सीमा 07 दिन निर्धारित है। अंचल अधिकारी के द्वारा संधारित किए गए अभिलेख एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से अनुशंसित अभिलेख ही अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से उच्चाधिकारी को अग्रसारित किया गया था ।

यहाँ यह भी कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि सरकारी भूमि के हस्तानांतरण संबंधी अभिलेख में होने वाले त्रुटियों के निराकरण के संबंध में सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पत्र संख्या-92/रा०, दिनांक 18.02.2002 द्वारा सभी उपायुक्त/ प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के आलोक में अभिलेख भेजते समय कुल 12 बिन्दुओं पर ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया है। कंडिका-12 में यह भी उल्लेखित है कि सभी तथ्यों का आदेश फलक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, इस बात को भी ध्यान देना है। अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से अनुशंसित एवं प्रस्तावित अभिलेख में कुल 12 बिन्दुओं पर संलग्न दस्तावेज तथा आदेशफलक का अवलोकन कर ही अभिलेख उच्चाधिकारी को अग्रसारित किया गया था। आदेशफलक में भी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से यह अंकित किया गया था कि प्रस्तावित भू-खण्ड खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक है ।

इस प्रकार इनका कहना है कि आरोप सं0-1 से 4 इनसे संबंधित नहीं है। उपायुक्त, पलामू ने अपने मंतव्य में स्पष्ट कहा है कि "श्री दास सीधे तौर पर उन गलतियों के लिए जिम्मेवार नहीं है, जो आरोप इन पर लगाया गया है तथा वरीय पदाधिकारी की हैसियत से अप्रत्यक्ष रूप से दोषी रहा है।" जाँच पदाधिकारी ने भी अंत में कहा है कि "उपायुक्त, पलामू के उपरोक्त मंतव्य से मैं सहमत हूँ तथा यह मानता हूँ कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है।

यह भी अवगत करना है कि वर्ष 2015 से ही यह जाँच प्रक्रिया चल रही है। कई वर्षों से इनकी प्रोन्नति लंबित भी है। ये 38वीं बैच के उप समाहर्त्ता संवर्ग के पदाधिकारी हूँ तथा इनसे कई कनीय पदाधिकारी संयुक्त सचिव संवर्ग में है। दण्ड अधिरोपित किए जाने से इनको काफी क्षति होगी। अतः उपायुक्त, पलामू के मंतव्य, जाँच पदाधिकारी के मंतव्य तथा संलग्न साक्ष्य पर गौर करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आरोप से मुक्त किया जाय।

श्री दास समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव बयान में समर्पित किया गया है। श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा मे एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो आरोप के प्रतिकूल हो ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुधीर कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUDHIR KUMAR DAS BHR/BAS/3438	श्री सुधीर कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 221 -- 50